विनियामक और अन्य उपाय

मई-जून 2009

भारिबैं/2008-09/469 संदर्भ.सं.शबैंवि.कें.का. एलएस.परि. सं.66/07.01.000/2008-09 दिनांक 6 मई 2009

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक - परिचालन क्षेत्र में विस्तार - उदारीकरण

कृपया वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य का पैरा 163 देखें, जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों के सुचार रूप से चलने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अनुमति दी जाए । वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक जिस जिले में पंजीकृत है उससे निकटवर्ती जिलों से बाहर परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनुमति नहीं है । मामले की समीक्षा की गयी तथा एक राज्य के सुदृढ़ और सुचारु रूप से कार्य कर रहे टियर II शहरी सहकारी बैंकों के आंगिक विकास के लिए वर्तमान मानदंडों के और अधिक उदारीकरण तथा संशोधन का निर्णय लिया गया ।

2. अब से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राज्यों में पंजीकृत लाइसेंस-प्राप्त टियर II शहरी सहकारी बैंकों, जिन्हें पिछले सांविधिक निरीक्षण में ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया है तथा /या अद्यतन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जिनकी वित्तीय स्थिति ग्रेड I बैंक के अनुरूप है, से संपूर्ण राज्य में परिचालन क्षेत्र में विस्तार के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार करेगा । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी सहूलियत पर ध्यान दिया जाएगा।

3. टियर I शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे ।

4. शहरी सहकारी बैंकों को टियर I तथा टियर II बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आगे से 07 मार्च 2008 के परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) .परि.सं.35 / 09.20.001/2007-08 में दिए गए अनुदेशों का

अधिक्रमण करते हुए सभी विनियामक प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषा अपनायी जाए :

(क) टियर I बैंक :

i) ऐसे बैंक, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम हो और जो एक ही जिले में परिचालित हों,

ii) ऐसे बैंक, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम हो और जो एक से अधिक जिलों में परिचालित हों, को टियर I बैंक माना जाएगा बशर्ते शाखाएं सटे हुए जिलों में हों तथा एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम अलग-अलग बैंक की क्रमश: कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95% हों, तथा

iii) ऐसे बैंक, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम हो और जिनकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में वे बैंक जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जनपदीय हो गए हों, को भी टियर I बैंक माना जाए ।

(ख) <u>टियर II बैंक</u> : सभी अन्य बैंक ।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार जमाराशि तथा अग्रिमों की गणना ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए ।

5. उपर्युक्त के अनुसार अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें ।

आरबीआइ/2008-09/467 ग्राआऋवि.एसएमईएण्ड एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09
दिनांक 4 मई 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

माइक्रो और छोटे उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

माइक्रो और छोटे उद्यम (एमएसई) क्षेत्र द्वारा, विशेषत: संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में, अनुभव की जा रही समस्याओं को स्वीकार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ.के.सी.चक्रवर्ती,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था।

2. उक्त दल ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रस्तुत की, जिसमें इस क्षेत्र के सामने मौजूद कठिनाइयों और समस्याओं (ऋण और ऋणेतर) के समस्त पहलुओं को व्यापक रूप से समाविष्ट किया गया है। रिज़र्व बैंक ने यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी थी और सभी पणधारियों से उस बारे में अभिमत आमंत्रित किए थे। रिपोर्ट के बारे में प्राप्त प्रतिसादों और अभिमतों की ध्यानपूर्वक जांच की गई है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि आप माइक्रो और छोटे उद्यम क्षेत्र को समय पर तथा पर्याप्त रूप से ऋण प्रदान करने के संबंध में कार्यदल द्वारा अनुबंध III में की गई सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर विचार करें ।

4. रिज़र्व बैंक ने संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण यूनिटों/ उद्यमों के पुनर्वास के संबंध में दल की उन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, जिनका अनिवार्यत: उद्देश्य संभाव्य रूप से अर्थक्षम इकाइयों की रुग्णता का समय पर पता लगाना और उनके पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय करना है। दल की सिफरिशों के आशय से पूर्णत: सहमत होते हुए भी बैंकों का ध्यान रुग्णता के लक्षण दिखाने वाले उन उधार खातों के संबंध में एमएसई ऋण के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उसके निम्नलिखित परिपत्रों में निहित दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है :

i. दिनांक 8 सितंबर 2005 का परिपत्र डीबीओडी.बीपी. बीसी.सं.34/21.04.132/2005-06

ii. दिनांक 27 अगस्त 2008 का परिपत्र डीबीओडी. बीपी.बीसी.सं.37/21.04.132/2008-09

वास्तव में, इन दिशानिर्देशों में रुग्णता के शुरुआती चरण का समावेश है और इन दिशानिर्देशों को, यदि

बताए गए अनुसार, कार्यान्वित किया जाए तो, रुग्णता को शुरुआती स्तर पर ही टाला या रोका जा सकता है। ऐसी एमएसई यूनिटें/उद्यम कुछ ही होंगे जो ऋण के पुनर्गठन के बाद भी रुग्ण हो गए हैं और वे संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण यूनिटों/उद्यमों के पुनर्वास पर जारी वर्तमान दिशानिर्देशों (देखें 16 जनवरी 2002 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.57/06.04.01/ 2001-02) की परिधि में आएंगे। अतः बैंकों से अनुरोध है कि वे ऋण के पुनर्गठन पर जारी रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को इष्टतम रूप से और पूर्णतः लागू करें। यह उनके अपने और एमएसई ग्राहक के हित में होगा।

5. दल ने यह सिफारिश भी की है कि रिज़र्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र के लिए एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) घोषित करे। तथापि, अनर्जक ऋणों के निपटान के संबंध में किसी नीति का निर्धारण करना अनिवार्यतः प्रबंध तंत्र का कार्य है जो प्रत्येक बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किया जाए । यह आवश्यक है कि बैंकों में अपनी नॉन-डिक्रीशनरी ओटीएस योजना हो ताकि अधिकारी एकबारगी निपटान के मामले पर शीघ्र और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। इसलिए, बैंक इस क्षेत्र के लिए उचित एकबारगी निपटान योजना बनाएं।

6. तदनुसार, एमएसई उधारकर्ताओं के लिए कार्यदल की सिफारिशों और भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की वचनबद्धता संहिता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करके आपका बैंक निदेशक मंडल द्वारा एमएसई क्षेत्र के लिए विधिवत रूप से अनुमोदित निम्नलिखित नीतियां तय करे :

i. ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति

ii. संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण यूनिटों/उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्गठन/पुनर्वास नीति

iii. अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए नॉन-डिक्रीशनरी एकबारगी निपटान योजना

7. कृपया प्रप्ति-सूचना दें और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट 30 जून 2009 तक भिजवा दें ।

अनुबंध III

बैंकों से संबंधित कार्रवाई

1. सामान्य रूप से मौजूद विभिन्न आकार के उद्योग के लिए परियोजना की मॉडल लागत तथा गतिविधि की समग्र व्यवहार्यता का आकलन एक समिति द्वारा किया जाए जिसमें अग्रणी बैंक के तत्वावधान में जिला के 2-3 प्रमुख बैंक शामिल हों, ताकि अलग-अलग मामलों में टीईवी अध्ययन तैयार करने में किसी विशेषज्ञ /पेशेवर की आवश्यकता न पड़े। मशीनरी और अन्य आवश्यक अचल संपत्तियों की कीमत, कच्चे माल के स्रोत, तकनीकी सुविज्ञता और कुशल श्रमिक की उपलब्धता, बाजार तक पहुंच आदि पर विचार करने के बाद यह कार्रवाई आवधिक रूप से की जाए। डीआइसी को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। छोटे उद्यमी भी इन परियोजना प्रोफाइलों का उपयोग करें तथा अधिक समय लेनेवाले और महंगे टीईवी अध्ययन/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में पेशेवर लोगों की मदद न लें। वित्तपोषण करते समय बैंक प्रत्येक मामले में टीइवी अध्ययन न करवाएं। एसएमई की मंजूरी/ पुनर्वास के लिए अधिकारों का पर्याप्त प्रत्यायोजन फील्ड स्तर पर किया जाना चाहिए । **(पैरा 3.6.1)**

अग्रणी बैंक आवश्यक कार्रवाई करें।

2. 2 करोड़ तक के सभी अग्रिमों का उधार स्कोरिंग मॉडल के आधार पर किया जाए। स्कोरिंग मॉडल की आवश्यक जानकारी आवेदन फार्म में ही दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में अलग-अलग जोखिम निर्धारण की आवश्यकता नहीं है ।**(पैरा 3.6.3ए)**

3. बैंक ऋण आवेदनों का केंद्रीयकृत पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। इसी प्रौद्योगिकी को ऋण आवेदन की ऑनलाइन

प्रस्तुति तथा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। **(पैरा 3.6.3बी)**

4. आवेदन फार्म इस तरह से बनाए जाएं कि ऋण स्वीकृति पर उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जानेवाले सभी आवश्यक दस्तावेज उनका एक भाग बन जाएं। फार्म में अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजोंतथा स्वीकृति के बाद पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं की जांच-सूची होनी चाहिए। **(पैरा 3.6.3सी)**

5. सभी माइक्रो उद्यमों के मामलों में, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण तथा नायक समिति के मानदंडों के अंतर्गत कार्यशील पूंजी के लिए सरल आवेदन व स्वीकृति फार्म (जो स्थानीय भाषा में भी छपवाए जाएं) शुरू किए जाएं। **(पैरा 3.6.3डी)**

6. जिन बैंकों ने एकल या संयुक्त रूप से मीयादी ऋण स्वीकृत किए हों वे एकल (या संयुक्त रूप से, मीयादी ऋण के अनुपात में) डब्ल्यूसी सीमा भी स्वीकृत करें ताकि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में विलंब न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामले न हों जहां मीयादी ऋण तो स्वीकृत किया गया हो लेकिन कार्यशील पूंजी सुविधाएं स्वीकृत करना बाकी हो। **(पैरा 3.8)**

7. केंद्रीयकृत ऋण प्रोसेसिंग कक्ष शुरू किए जाएं। इन कक्षों का उपयोग एकल बिंदु मूल्यांकन, स्वीकृति, प्रलेखीकरण, नवीकरण तथा बढ़ोतरी के लिए किया जाए। केंद्रीयकृत ऋण प्रोसेसिंग कक्ष के कार्य की समीक्षा बैंक के नियंत्रक कार्यालय द्वारा की जाए। सीपीसी को बैंक के बैक ऑफिस के रूप में कार्य करना चहिए। **(पैरा 3.9)**।

8. नए ऋण की स्वीकृति तथा पुनर्वास मामलों के लिए समिति दृष्टिकोण अपनाया जाए। इससे माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र की हरित क्षेत्र परियोजनाओं या पुनर्वास प्रस्तावों के ऋण आवेदनों पर निर्णय लेते समय निर्णय की गुणवत्ता बढ़ेगी क्योंकि इसमें सदस्यों के सामूहिक विवेक का उपयोग होगा। **(पैरा 3.10)**

9. बैंक स्टॉक और प्राप्य राशियों के संयुक्त स्तर पर विचार करें और ऋणकर्ताओं के लिए कोई अलग उप सीमा निर्धारित न की जाए। बैंक एक सुविधा के अंतर्गत स्टॉक और प्राप्य राशियों की जमानत पर सीसी/ओडी की अनुमति दे सकते हैं। **(पैरा 3.14)**

10. नायक समिति के मानदंडों के अनुसार बैंकों से बैंक वित्त के रूप में बिजनेस उद्यम को आवर्त का न्यूनतम 20% प्रदान करना और मार्जिन के रूप में 5% प्राप्त करना अपेक्षित है। यह 1.25 का चालू अनुपात होता है। **(पैरा 3.15)**

11. बैंक सिडबी द्वारा विकसित साफ्टवेयर की तर्ज पर उचित ऋण मूल्यांकन और रेटिंग साधन (सीएआरटी) विकसित करें या छोटे और मध्यम उद्यमों के ऋण/ कार्यशील पूंजी के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए ऐसे साधन की सहायता लें। **(पैरा 3.19)**

12. बैंक अधिकाधिक विशेषीकृत माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम शाखाएं खोलने पर ध्यान दें। पहचाने गए सभी समूहों और औद्योगिक संपदाओं में विशेषीकृत शाखा नेटवर्क के विस्तार का कार्य समयबद्ध तरीके से अगले 3-5 वर्ष में पूरा कर लिया जाना चाहिए। **(पैरा 3.20बी)**

13. बैंक तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए मंच का उपयोग करें तथा ऐसी संस्थाओं में अपने स्टाफ को नियमित रूप से भेजें। शाखा प्रबंधकों और ऋण अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि एमएसएमई क्षेत्र को किए जानेवाले वित्तपोषण को जोखिम मानने की बात को उनके दिमाग से हटाया जा सके। एमएसएमई को वित्तपोषण करने में अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की एक प्रणाली लागू की जाए जो कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में विशेष उल्लेख या विशेष प्रशिक्षण आदि के रूप में हो सकती है।**(पैरा 3.20ए)**

14. बैंक विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए फैक्टरिंग सेवाएं आरंभ करने पर विचार कर सकते हैं। **(पैरा 3.21बी)**

15. रुग्ण माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों की सही पहचान और रिपोर्टिंग करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए।**(पैरा 9.19)**

आरबीआइ/2008-09 /470 संदर्भ.सं.शबैंवि.पीसीबी. परि.सं.65/09.16.900/2008-09 दिनांक 6 मई 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.39/09.16.900/ 2008-09 देखें । उक्त परिपत्र के पैरा 3 (vii) के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि पुनर्संरचना के बाद संबंधित बैंक का प्रबंधन एक प्रशासक मंडल के हाथों में होना चाहिए जिसमें वैयक्तिक जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि तथा पेशेवर बैंकर भी हों ताकि एनपीए की वसूली सहित पुनर्संरचना योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

2. उक्त मामले की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय उपर्युक्त पूर्वापेक्षा को समाप्त कर दिया जाए । तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना के प्रस्तावों पर विचार करते समय प्रबंधन के पहलुओं पर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा ।

3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें।

आरबीआइ/2008-09/471संदर्भ सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 6 /01.02.00/2008-09 दिनांक 7 मई 2009

चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देने वाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

उक्त विषय पर 26 फरवरी 2009 के अपने परिपत्र बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी.5/01.02.00/2008-09 के अनुक्रम में हम 9 अप्रैल 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.132/2008-09 की एक प्रति संलग्न करते हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी उक्त दिशानिर्देश चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

आरबीआइ / 2008-09/477 सं.ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं. 103/03.05.28ए/2008-09 13 मई 2009

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - नामांकन की प्राप्ति-सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम दर्शाना

हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा / अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फार्म जमा किए जाने की सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं है। साथ ही यह भी पता चला है कि बचत बैंक खाता खोलने के फार्म में दिए गए अनुसार कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन की प्राप्ति-सूचना देने की व्यवस्था तो है लेकिन ऐसी प्राप्ति-

सूचनाएं वास्तव में ग्राहकों को नहीं दी जा रही हैं। इस संबंध में, आप जानते ही हैं कि बैंकिंग कंपनी नामांकन (नियमावली), 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) के अनुसार बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए फार्म जमा करने की सूचना जमाकर्ता(ओं) /लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रूप में देना आवश्यक है।

2. अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा / अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए फार्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की प्राप्ति-सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं।

3. जब कोई बैंक खाताधारक नामांकन सुविधा का लाभ उठाता है तो उसे पासबुक में दर्शाया जाना चाहिए ताकि खाताधारक के निधन पर पासबुक से उसके रिश्तेदारों को यह पता चल सके कि दिवंगत जमाकर्ता द्वारा नामांकन सुविधा का लाभ उठाया गया था और वे उचित कार्रवाई कर सकें। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पासबुक के मुखपृष्ठ पर ''नामांकन पंजीकृत'' लिखकर नामांकन सुविधा का लाभ उठाने संबंधी स्थिति को दर्ज करने की प्रथा आरंभ करें। यह व्यवस्था मीयादी जमा रसीदों के मामले में भी की जाए।

4. इसके अतिरिक्त , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो वे पासबुक / खाता-विवरण / मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम भी दर्शाएं। ऐसा करना ग्राहकों/ नामितियों के लिए उपयोगी होगा।

आरबीआइ/2008-09/478 सं.ग्राआऋवि.के. का.आरआरबी.बीसी.सं. 105 / 03.05.33/ 2008-09 दिनांक 15 मई 2009

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिंग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका. सं.1001/ 03.01.02/2007-08, 20 जून 2008 परिपत्र डीपीएसएस. केका.सं.2092/ 03.01.02(पी)/ 2008-09 और 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.611/03.01.03(पी)/2008-09 की प्रतियां आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रदान करने , बाहरी चेकों का संग्रहण करने तथा अधिशेष क्लियरिंग निधियों के अंतरण के लिए बैंकों द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों की रूपरेखा सूचित की गई है ।

2. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों (आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस) के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों की रूपरेखा ऊपर बताए गए हमारे 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र में निर्धारित की गई है । ये प्रभार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करनेवाले सभी अंतर-बैंक अंतरणों पर लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रभार धन प्रेषण सुविधा योजना (आरएफएस), 2007 के अंतर्गत अधिशेष क्लियरिंग निधियों के अंतरण पर भी लागू होंगे ।

आरबीआइ/2008-09/481 सं.ग्राआऋवि.केका. आरआरबी.बीसी.सं. 108/03.58.33/2008-09
दिनांक 22 मई 2009

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा अपरिचालित /निष्क्रिय खाते

बैंकों के पास अदावी जमाराशियों की प्रतिवर्ष बढ़ती हुई राशि तथा ऐसी जमाराशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन खाताधारकों के खाते अपरिचालित रहे हैं, उनका पता-ठिकाना ढूंढने में बैंकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ ही, ग्राहकों का खातों के अपरिचालित श्रेणी में वर्गीकरण किए जाने के कारण उन्हें होने वाली कठिनाइयों के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । इसके अलावा, ऐसी भी धारणा है कि बैंक ब्याज का भुगतान किए बिना अदावी जमाराशियों का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपरिचालित / निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें :

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ है (अर्थात्, आवधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामे प्रविष्टि नहीं है)। ऐसे मामलों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्राहकों से संपर्क करें और उन्हें लिखित रूप में यह सूचित करें कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण पूछें । यदि ग्राहकों का उक्त इलाके से स्थानांतरण होने के कारण खाते अपरिचालित हैं तो ग्राहकों से उनके नए बैंक खातों के ब्योरे देने के लिए कहा जाए जिनमें विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सके ।

(ii) यदि वे पत्र अवितरित वापस आते हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों का और यदि उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढने के लिए तत्काल जांच कार्रवाई प्रारंभ करें ।

(iii) यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नहीं मिल रहा है तो बैंक को खाता-धारक का परिचय करानेवाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए। यदि ग्राहक के नियोजक /अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ब्योरे उपलब्ध हैं तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है । खाता-धारक का टेलीफोन नंबर/सेल नंबर यदि बैंक को दिया गया है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं । अनिवासी खातों के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता-धारकों से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और खाते के ब्योरे के संबंध में उनकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं ।

(iv) बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्हें अपरिचालित /निष्क्रिय खाता माना जाए । दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपरिचालित खातों को अलग किया जाए तथा उन्हें एक अलग लेजर में रखा जाए ।

(v) यदि खाता-धारक खाते का परिचालन न करने के लिए कारण देते हुए कोई उत्तर देता है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक और वर्ष की अवधि के लिए उस खाते को परिचालित खाते के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिए । इस अवधि के भीतर उस खाता-धारक से खाते का परिचालन करने के लिए अनुरोध किया जाए । तथापि, विस्तारित अवधि

के दौरान भी खाता-धारक यदि खाता परिचालित नहीं करता है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका अपरिचालित श्रेणी में वर्गीकरण करें।

(vi) किसी भी खाते को 'अपरिचालित' रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए । तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रभार तथा बैंक द्वारा जमा किये गये ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाए ।

(vii) इसके अलावा, अपरिचालित खातों का पृथक्करण कपट/धोखाधड़ी आदि के जोखिम को कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है । तथापि, केवल इस कारण से कि किसी ग्राहक का खाता अपरिचालित माना जा रहा है, उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चहिए । ऐसा वर्गीकरण केवल खाते से जुड़े बढ़े जोखिम को संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाने के लिए किया गया है । धोखाधड़ी को रोकने तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट बनाने, दोनों दृष्टि से इस लेनदेन की उच्चतर स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए । तथापि, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए ।

(viii) ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार उचित सावधानी बरतने के बाद ऐसे खातों में परिचालन की अनुमति दी जानी चाहिए । यहां उचित सावधानी का अर्थ होगा - लेनदेन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, हस्ताक्षर तथा पहचान का सत्यापन आदि । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी के कारण ग्राहक को असुविधा नहीं होती है ।

(ix) अपरिचालित खाते को पुनः सक्रिय करने का कोई प्रभार नहीं होना चाहिए ।

(x) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि अपरिचालित खाता लेजर में पड़ी शेष राशियों की बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों / सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा समुचित लेखा-परीक्षा की जाती है ।

(xi) बचत बैंक खातों में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिए चाहे खाता सक्रिय हो अथवा न हो । यदि मीयादी जमा रसीद के परिपक्व होने पर देय राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

2. जिन विद्यमान खातों को पहले ही 'अपरिचालित खाते' नाम के अलग लेजर में अंतरित किया गया है उनसे संबंधित ग्राहकों /कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढने के लिए एक विशेष योजना प्रारंभ करने पर भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विचार कर सकते हैं ।

आरबीआइ/2008-09/485 सं.बैंपविवि.बीपी. बीसी. सं.134/21.06.001/2008-09 दिनांक 26 मई 2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र के संबंध में पूंजी पर्याप्तता मानदंड

कृपया 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/2008-09/68 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2008-09 देखें जो पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के कार्यान्वयन से संबंधित है ।

2. करेंसी फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स जैसी संविदाओं का निपटान करते समय स्टाक एक्सचेंजों से

संबद्ध केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र रहता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) भी वित्तीय बाजार के विभिन्न अंगों में बैंकों के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप में कार्य करता आ रहा है। उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3 (iv) (ख) के अनुसार फ्यूचर्स और आप्शन एक्सचेंजों में जिन लिखतों में ट्रेडिंग होती है और जिन पर प्रतिदिन बाजार दर पर मूल्यांकन और मार्जिन अदायगी लागू होती है, वे पूंजी अपेक्षाओं से मुक्त हैं।

3. जैसा कि 21 अप्रैल 2009 को वर्ष 2009-10 के लिए जारी वार्षिक नीतिगत वक्तव्य के पैरा 146 में बताया गया है, केंद्रीय काउंटरपार्टियों के प्रति बैंकों के विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम एक्सपोज़र के लिए पूंजी पर्याप्तता कार्रवाई के संशोधित मानदंड निम्नानुसार होंगे:

i) बकाया डेरिवेटिव ट्रेडिंग और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (जैसे सीबीएलओ, रिपो) के कारण सीसीपी के प्रति होनेवाले एक्सपोज़र पर काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोज़र मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी का अपनी काउंटरपार्टियों के प्रति एक्सपोज़र दैनिक आधार पर पूर्णतया संपार्श्वीकृत है और इस प्रकार सीसीपी के ऋण जोखिम एक्सपोज़र सुरक्षित हो जाते हैं।

ii) बैंकों द्वारा केंद्रीय काउंटरपार्टियों के पास रखी गयी जमाराशि/संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर सीसीपी के स्वरूप के अनुरूप जोखिम भार लगेगा। सीसीआइएल के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के मामले में जोखिम भार नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार उन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा ।

4. मार्जिन की पर्याप्तता, संपार्श्विक प्रतिभूति की गुणवत्ता और समाशोधन गृह / सीसीपी की जोखिम प्रबंध प्रणालियों के संबंध में उपर्युक्त अपेक्षाओं की समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी।

5. सभी मौजूदा एक्सपोज़र सीमाएँ, जैसे विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए अंतराल सीमा, ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र के लिए पीवी01 सीमाएँ , जो बैंकों के ओटीसी डेरिवेटिव एक्सपोज़र पर लागू होती हैं, एक्सचेंजों में होनेवाले लेनदेनों पर भी लागू होती रहेंगी ।

संदर्भ. सं.डीपीएसएस.सीओ (सीएचडी)सबैलेवि.सीडीडी. सं.873/03.09.01 2008-09 दिनांक 24 नवंबर 2008

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

चेक समाशोधन में देरी - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के समक्ष 2006 का मामला संख्या 82

जैसाकि आप जानते हैं कि अगस्त 2006 के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली (आयोग) के समक्ष एक मामला दायर कर चेक समाशोधन में होनेवाली देरी तथा, विशेष रूप से, स्थानीय और अंतर-नगर समाशोधन के फ्लोट संबंधी मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। 2006 के मामला संख्या 82 के रूप में जनहित में दायर इस मुकदमे में शिकायतकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (बैंक) को प्रतिवादियों के रूप में शामिल किया था तथा वसूली में हुई देरी के लिए ब्याज के रूप में पर्याप्त मुआवजे की मांग की थी।

रिज़र्व बैंक तथा बैंकों द्वारा समय-समय पर कई शपथपत्र दाखिल किए गए तथा 27 अगस्त 2008 को आयोग द्वारा मामले का अंतिम रूप से निपटान करते हुए यह टिप्पणी की गई कि रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान

प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत उसे प्राप्त व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाहरी चेकों की वसूली के लिए देरी के कारण उत्पन्न फ्लोट, यदि कोई हो, को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा कई आदेश जारी किए गए तथा अंतिम आदेश में 'बाहरी चेकों की वसूली के लिए समय-सीमा' तय की गई जो http://www.ncdrc.nic.in/CC820605.htm पर उपलब्ध है। हमें विश्वास है कि आपके बैंक ने आयोग के आदेश के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी होगी (जैसाकि 22 सितंबर 2008 के हमारे पत्र डीपीएसएस.सीओ.सं.517/03.01.02 (पी)/2008-09 में पहले सूचित किया जा चुका है)।

इस बीच, बैंकों द्वारा बनायी गई चेक वसूली नीतियों की विषय-वस्तु के संबंध में तथा ग्राहकों को बेहतर रूप से सूचित करने तथा उनकी सेवा संबंधी प्रचार के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा कई परिपत्रों द्वारा अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

उक्त के बावजूद स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए तथा आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हम निम्नलिखित बातें दोहराते हैं:-

(i) बैंक आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार स्थानीय तथा बाहरी चेकों की वसूली के बारे में अपनी चेक वसूली नीति तैयार करेंगे।

(ii) स्थानीय चेकों के लिए जमा तथा नामे प्रविष्टियां उसी दिन अथवा अधिक से अधिक समाशोधन में उन्हें प्रस्तुत किए जाने के अगले दिन कर दी जाएंगी। आदर्श स्थिति यह होगी कि स्थानीय समाशोधन के मामले में बैंक संबंधित वापसी समाशोधन बंद होने के तुरंत बाद ग्राहक खातों में किए गए छाया जमा के उपयोग की अनुमति देंगे तथा किसी भी स्थिति में आहरण की अनुमति उसी दिन अथवा सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन अगले कार्य-दिवस में कारोबार शुरू होने के अधिकतम एक घंटे के भीतर दी जाएगी।

(iii) राज्यों की राजधानियों / बड़े शहरों/अन्य स्थानों पर आहरित चेकों की वसूली के लिए समय-सीमा क्रमशः 7/10/14 दिन होगी। इस अवधि के बाद वसूली में होनेवाली किसी भी देरी के लिए बैंक की चेक वसूली नीति (सीसीपी) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज अदा किया जाएगा। यदि सीसीपी में दर विनिर्दिष्ट न की गई हो, तो संबंधित परिपक्वता के लिए सावधि जमाराशियों पर देय ब्याज दर लागू होगी। आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वसूली संबंधी समय-सीमा को अंतिम सीमा के रूप में माना जाएगा तथा प्रक्रिया पहले पूरी होने पर राशि पहले जमा कर दी जाएगी। जैसाकि 8 अक्तूबर 2008 के रिज़र्व बैंक के निदेशों (डीपीएसएस.सीओ.सं.611/03.01.03 (पी)/2008-09) में सूचित किया गया है 'बैंक वसूली के लिए उसके ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे'।

(iv) बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं के सूचनापट्टों पर बड़े तथा दिखनेयोग्य अक्षरों में चेक वसूली नीति की प्रमुख विशिष्टताएं प्रमुख तौर पर दर्शाकर उसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।

(v) ग्राहकों द्वारा मांग किए जाने पर शाखा प्रबंधक पूर्ण चेक वसूली नीति की एक प्रति उपलब्ध कराएंगे।

(vi) रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बैंकों से संबंधित वेबसाइटों में उपलब्ध चेक वसूली नीतियों के लिए लिंक उपलब्ध कराया है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस विभाग को पूर्व-सूचना दिए बिना चेक वसूली नीति संबंधी स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए ताकि हमारे स्तर पर लिंक को अद्यतन किया जा सके।

रिज़र्व बैंक इसके द्वारा जारी तथा अनुपालन हेतु आयोग द्वारा जारी निदेशों पर निगरानी रखेगा। कृपया इस मामले को आवश्यक समझें तथा इस पत्र की तारीख से एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी हमें दें।

भारिबैं/2008-09/493 संदर्भ. सबैंलेवि.सीडीडी./एच-10566 /15.15.001/2008-09 दिनांक 05 जून 2009

महाप्रबंधक

सरकारी लेखा/कारोबार विभाग

भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/इलाहाबाद बैंक/

बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/

केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कॉरपोरेशन बैंक/ देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज़ बैंक/

पंजाब नैशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड/विजया बैंक/ आइडीबीआइ बैंक

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 - नामिती से फार्म 15-जी स्वीकार किया जाना

आपको विदित है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) के अंतर्गत जमाओं पर प्राप्य ब्याज पर टीडीएस से छूट पाने हेतु निवेशक फार्म 15-जी एवं 15-एच पूर्ण कर जमा कर सकते हैं ।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 14 मई 2009 के का.ज्ञा.सं.फा.सं./275/36/2009-आइटी (बी) के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि एससीएसएस के निवेशक के नामिती भी जमाकर्ता की मृत्यु होने पर भुगतान प्राप्त करते समय फार्म 15 जी (प्राप्त होनेवाले ब्याज पर कर की कटौती न करने के लिए घोषणापत्र) प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. यह परिपत्र सूचना एवं अनुपालन के लिए अपने बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं की जानकारी में लाएं ।

आरबीआइ/2008-09/496 संदर्भ सं.बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 137/22.01.001/2008-09 दिनांक 12 जून 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम

जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 21/22.01.001/2008-2009 के पैरा 1 में दिए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऑफ साइट एटीएम सहित कोई नयी शाखा/कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । इसके साथ ही, बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे नयी शाखाएं/ऑफ साइट एटीएम खोलने के ऐसे सभी प्रस्तावों को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजनाओं में शामिल करें ।

2. इस संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम की स्थापना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा निर्धारित केंद्रों/ स्थानों पर ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है और इसके लिए प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो इस प्रकार के ऑफ साइट एटीएम को बंद करने/स्थान परिवर्तन करने के लिए निदेश जारी कर सकता है तथा ऑफ साइट एटीएम की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ऐसे निदेशों सहित किसी भी अन्य निदेश के अधीन होगी । बैंकों को उपर्युक्त आम अनुमति के अंतर्गत खोले गये ऑफ साइट एटीएम के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, एटीएम परिचालन आरंभ होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में

संलग्न फार्मेट में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को भेजनी चाहिए ।

3. जो बैंक अपने एटीएम के माध्यम से ग्राहकों को नकदी जमा करने की सुविधा देते आ रहे हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय/प्रक्रिया (उदाहरण के लिए पिन/पासवर्ड आदि के माध्यम से पहुंच) स्थापित करनी चहिए, ताकि जमा किये गये नोट यदि जाली/दोषपूर्ण हों तो जमाकर्ता की पहचान की जा सके ।

4. जैसा कि शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई 2008 के उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 18 में उल्लेख किया गया है, ऑफ साइट एटीएम के स्थान परिवर्तन/बंदी आदि के ब्योरे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को ऐसे स्थान परिवर्तन/बंदी के तुरंत बाद या किसी भी हालत में दो सप्ताह में सूचित किये जाने चाहिए ।

5. प्रसंगवश, बैंकों को ज्ञात होगा कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार **ऑन-साइट एटीएम** (शाखा और विस्तार काउंटरों में स्थित एटीएम, जिनके लिए बैंकों के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार हैं) की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

भारिबैं /2008-09/501 संदर्भ सं.शबैंवि.बीपीडी.सं.71 /09.09.001/2008-09 दिनांक 16 जून 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) जिन समस्याओं को झेल रहा था उनको पहचानने, विशेषत: संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के संदर्भ में, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था।

2. उपर्युक्त समूह ने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी थी जिसमें यह क्षेत्र जिन मामलों और समस्याओं से (ऋण एवं गैर ऋण संबंधी) जूझ रहा था उन पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर लगा दी थी तथा सभी पणधारकों से उनके विचार आमंत्रित किए थे। रिपोर्ट पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं और विचारों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गयी है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित **अनुबंध III** में दी गयी कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करें ताकि उनको त्वरित रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों /उद्यमों के पुनर्वास से संबंधित कार्यदल की उन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है जिनका मुख्य उद्देश्य रुग्णता की समय पर पहचान करना तथा संभाव्य रूप से अर्थक्षम इकाइयों के पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाना है। कार्यदल की सिफारिशों के आशय से पूर्णत: सहमत होते हुए, रुग्णता के लक्षण दिखाने वाले उधार खातों के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की पुनर्संरचना पर निम्नलिखित परिपत्रों के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है:

i. शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.36/09.09.001 /2005-06, दिनांक 09 मार्च 2006

ii. शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.सं.53/13.05.000 / 2008-09, दिनांक 06 मार्च 2009

वास्तव में इन दिशानिर्देशों से रुग्णता की प्रारंभिक स्थिति का पता चल सकता है तथा यदि उन्हें अपेक्षित ढंग से लागू किया जाए तो प्रारंभिक स्तर पर ही रुग्णता को रोका जा सकता है। ऋण पुनर्संरचना के बावजूद रुग्ण इकाई बनने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयां /उद्यम बहुत ही कम होंगे और संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों/ उद्यमों के पुनर्वास पर विद्यमान दिशानिर्देश (19 जुलाई 2002 के परिपत्र शबैंवि.सं.पीसीबी.पीओटी.01/ 09.09.01 /2002-03 द्वारा जारी) की परिधि में आएंगे। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण पुनर्संरचना के दिशानिर्देशों का इष्टतम और पूर्ण प्रयोग करें। यह उनके तथा उनके सूक्ष्म और लघु उद्यम ग्राहक के हित में होगा।

5. तदनुसार, कार्यदल की सिफारिशों को तथा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए आप अपने बैंक की समीक्षा करें तथा निदेशक मंडल की अनुमति से सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए निम्नलिखित नीतियां बनाएं:

i. ऋण सुविधाएं प्रदान करने को नियंत्रित करने वाली ऋण नीति

ii. संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाई /उद्यम को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्संरचना /पुनर्वास नीति

6. कृपया प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जुलाई 2009 तक प्रेषित करें ।

अनुबंध -III : 4 मई 2009 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए अनुसार

भारिबैं/2008-09/508 संदर्भ सं.डीबीएस. सीओ.एफआरएमसी.बीसी. सं. 8/23.04.001/2008-09 दिनांक 24 जून 2009

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी को छोड़कर)

बहुल बैंकिंग व्यवस्था वाले उधारकर्ता खातों में धोखाधड़ी

हमारी जानकारी में यह बात आई है कि ''बहुल बैंकिंग व्यवस्था'' के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कुछ बेईमान उधारकर्ता, वित्तपोषक बैंकों में से एक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद, अन्य वित्तपोषक बैंकों से सुविधाओं का लाभ उठाते रहे तथा कुछ मामलों में उन्होंने उन बैंकों में उच्चतर ऋण सीमाएं भी प्राप्त कीं। कुछ मामलों में उधारकर्ताओं ने अन्य वित्तपोषक बैंकों में रखे गए खातों का उपयोग, जिस बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई उससे, धोखाधड़ीपूर्वक अपवर्तित निधियों को निकालने के लिए किया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उधार देनेवाले विभिन्न बैंकों के बीच जानकारी की आदान-प्रदान की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। जहां प्रभावित बैंक अपने स्तर पर वसूली/ आपराधिक कार्रवाई करने में संलग्न थे, उधारकर्ता अन्य वित्तपोषक बैंकों के साथ रखे गए अपने खातों में धोखाधड़ी करते रहे। बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ी संबंधी कुछ मामलों में बाद में यह प्रकट हुआ कि इन उधारकर्ताओं ने विभिन्न बैंकों को वही प्रतिभूतियां दी थीं।

2. इस संबंध में, आपका ध्यान हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी 19 सितंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.46/08.12.001/ 2008-09 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बहुल बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं की स्थिति के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान को बेहतर बनाएं। उक्त परिपत्र में उधारकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करने, नियमित अंतराल पर बैंकों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान तथा विभिन्न सांविधिक निर्धारणों के

अनुपालन के संबंध में किसी पेशेवर द्वारा जारी प्रमाणपत्र नियमित रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। अतः, उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के बारे में किए जा रहे अनुपालन के अंग के रूप में बहुल बैंकिंग व्यवस्था के तहत किसी उधारकर्ता को वित्त प्रदान करनेवाले बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे धोखाधड़ी की घटनाओं, की गई कानूनी कार्रवाइयों तथा धोखाधड़ी के बाद उधारकर्ता की गुप्त गतिविधियों/परिचालनों आदि के बारे में बहुपक्षीय आधार पर जानकारी का आदान-प्रदान करें।

3. अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न बैंकों में उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ियों के बारे में एक समेकित राय बनाएं ताकि धोखाधड़ियों की मात्रा, धोखाधड़ियों द्वारा हुई क्षति, उसके अनुबोधित प्रभाव-विस्तार आदि का निश्चय किया जा सके। अतः 'बहुल बैंकिंग' के तहत उधारकर्ता को वित्त प्रदान करनेवाले सभी बैंकों को समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए, जो विधिक/आपराधिक कार्रवाइयों, वसूली के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई, कार्यविधि के ब्यौरों के आदान-प्रदान, भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी के बारे में आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करने के बारे में सुसंगति लाने के लिए सामान्य रू प से सहमत रणनीति पर आधारित हो। अधिमान्य तौर पर, समन्वय संबंधी प्रयास उस बैंक द्वारा किए जाने चाहिए जो पहली बार धोखाधड़ी का पता लगाता है अथवा उस बैंक द्वारा, जिसका अधिकतम एक्सपोजर हो, जो परिस्थितियों पर निर्भर होगा। अतः धोखाधड़ी का पता लगाने वाले बैंक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बहुल बैंकिंग व्यवस्था में अन्य सभी बैंकों के साथ जानकारी का तत्काल आदान-प्रदान करे।

भारिबैं/2008-09/509 संदर्भ सं. भु.नि.प्र.वि.(कें.का.) ईपीपीडी सं. - 2283 /04.01.04 / 2008-2009 दिनांक जून 25, 2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन ई सी एस के सहभागी सभी बैंक

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) -इष्टतम प्रयोग और विस्तार

आपको ज्ञात ही है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) की शुरुआत सितंबर 2008 में बार-बार आने वाले और थोक भुगतान लिखतों के केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण लिए हुआ था। एनईसीएस प्रायोजक बैंकों को मुंबई में केन्द्रीयकृत रूप से ईसीएस फाइलें प्रस्तुत करने की सुविधा देती है इस प्रकार फाइलों को बांटने के कार्य से बचते हैं और विभिन्न स्थानों पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय ईसीएस का प्रयोग होता है। सदस्य बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन का प्रयोग करके आवक संव्यवहारों को केन्द्रीयकृत रूप से दर्ज करने के लिए एनईसीएस अखिल भारतीय व्यापकता उपलब्ध कराती है। अब तक 114 बैंकों की 26000 से कुछ अधिक शाखाएं एनईसीएस में भाग ले रही हैं।

2. वर्तमान में एनईसीएस के लिए क्रेडिट उत्पाद उपलब्ध हैं और पिछले 9 माह के परिचालनों में प्रसंस्कृत हुए संव्यवहारों में क्रमिक वृद्धि दिखाई दी है । अकेले मई 2009 माह के दौरान ही 30 बिलियन रु. के लगभग 2 मिलियन संव्यवहार प्रसंस्कृत हुए हैं। एनईसीएस से प्राप्त लाभों के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ईसीएस की आवश्यकता अवांछित हो गई है। तदनुसार,मुंबई में स्थानीय ईसीएस क्रेडिट का विलय एनईसीएस क्रेडिट के साथ कर दिया गया है।

3. बैंकों को एनईसीएस में सहभाग लेने वाली शाखाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे एनईसीएस की संभाव्यता और पहुंच का इष्टतम उपयोग किया जा सके। आदर्श स्थिति तब होगी जब सभी कोर बैंकिंग आधारित शाखाएं एनईसीएस की सहभागी हों। आरटीजीएस / एनईएफटी की प्रतिभागी शाखाओं की संख्या 55000 से अधिक है, अतः बैंकों के पास एनईसीएस सुविधा वाली शाखाओं की संख्या तत्काल ही दो गुनी करने का अवसर है। इसके अलावा बैंकों को एनईसीएस से मिलने वाले लाभों का

प्रयोग करने के लिए और अधिक प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित कर उनका सहभागिता स्तर भी बढ़ाना चाहिए।

4. तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू करें :

क) सभी एनईएफटी वाली शाखाओं को न्यूनतम स्तर पर एनईसीएस में शामिल करें। लक्ष्य यह हो कि सभी कोर बैंकिंग शाखाओं को एनईसीएस में शामिल किया जा सके।

ख) अपने कार्पोरेट ग्राहकों को एकल एनईसीएस फाइल बनाने के लिए शिक्षित एवं मार्गदर्शित करें जिससे एनईसीएस में भाग लेनेवाली गंतव्य शाखाओं के साथ सारे देश में खाते रखने वाले हिताधिकारियों को क्रेडिट मिल सके।

ग) सारे देश में विभिन्न शाखाओं द्वारा उनके कार्पोरेट ग्राहकों की ओर से एनईसीएस फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रह करने की पद्धति बनाना ।

घ) आवक एनईसीएस संव्यवहारों की देखरेख दक्ष रूप से करना । बैंक समाशोधन गृहों से प्राप्त आवक फाइलों के स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग हेतु उचित इंटरफेस रखें।

ङ) ग्राहकों के खातों में बिना विलंब के एनईसीएस क्रेडिट दें। क्रेडिट नहीं हुई मदें, यदि कोई हों, समाशोधन गृहों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करें।

च) प्रणाली पर बोझ बनने वाली एवं विलंब करने वाली प्रथाओं से बचें। प्रायोजक बैंक सुनिश्चित करें कि प्रयोक्ता संस्थाएं 'खाता बंद' या 'इस प्रकार का कोई खाता नहीं है' के कारण पहले वापस हो चुके लेनदेनों को इनपुट फाइलों में शामिल नहीं करें। सेवा शाखाओं को भी आवक प्रसंस्करण के समय आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी एनईसीएस-क्रेडिट को वापस करने में कोई तर्कसंगतता नहीं होगी जो अन्यथा स्थानीय-ईसीएस में विधिवत क्रेडिट हो चुकी हो।

छ) मुंबई में सेवा शाखा का बुनियादी ढांचा न केवल पर्याप्त टेलीफोन लाइनों, नेटवर्क, कंप्यूटर आदि के आधार पर, अपितु शाखा को कोर बैंकिंग सुविधायुक्त बनाकर, अन्य कोर बैंकिंग शाखाओं में स्थित ग्राहक खातों तक पहुंच प्रदान करके तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों से मजबूत बनाएं । सेवा शाखा के पास राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों (एनईसीएस और एनईएफटी) का परिचालन करने के लिए संख्या और गुणवत्ता दोनों के आधार पर पर्याप्त श्रमशक्ति होनी चाहिए । केन्द्रीय ईसीएस और स्थानीय ईसीएस के एनईसीएस में सम्मिलित होने पर समग्र श्रमशक्ति अपेक्षाओं का स्वत: ही युक्तिकरण हो जायेगा।

ज) एनईसीएस-डेबिट में भाग लेने के लिए तैयार रहें जिसके लिए बैंक की तरफ से केन्द्रीयकृत अधिदेश प्रबंधन प्रणाली चाहिए। बैंकों को स्वचालित कोर बैंकिंग इंटरफेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिदेश के भंडारण और उनकी पुनः प्राप्ति के लिए कदम उठाने चाहिए।

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें और इस संबंध में उठाए गये कदमों से हमें अवगत कराएं।

आरबीआइ/2008-09/511संदर्भ सं.बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 140 /21.04.048/2008-09 दिनांक 25 जून 2009

अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)
(आरआरबी को छोड़कर)

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/

21.04.048/ 2008-09, 11 नवंबर 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ 21.04.048/ 2008-09 तथा 5 मार्च 2009 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 112/ 21.04.048/ 2008-09 देखें।

2. 5 मार्च 2009 के परिपत्र में हमने भारत सरकार के इस निर्णय की सूचना दी थी कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत 'अन्य किसानों' द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दिया गया है । दूसरी तथा तीसरी किस्तों की अदायगी की तारीख 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 पर अपरिवर्तित रही ।

3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 'अन्य किसानों' द्वारा उनके संपूर्ण 75 प्रतिशत अंश का एकल किस्त के रूप में भुगतान करने पर भी उनके खाते भारत सरकार से 25 प्रतिशत की ऋण राहत पाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते ऐसे किसानों द्वारा उक्त अंश 30 जून 2009 तक जमा कर दिया जाए । बैंक 30 जून 2009 तक पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे । भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की एक प्रति संलग्न है ।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंक/ उधारदात्री संस्थाएं एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत पात्र राशि के 75 प्रतिशत से भी कम राशि प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते बैंक/उधारदात्री संस्थाएं उक्त राशि के अंतर को स्वयं वहन करें और सरकार अथवा किसान के पास उसके लिए कोई दावा नहीं करें । सरकार ऋण राहत के अंतर्गत केवल वास्तविक पात्र राशि के 25 प्रतिशत राशि का ही भुगतान करेगी ।

5. उपर्युक्त परिपत्रों की अन्य सभी शर्तें, जिनमें प्रावधानीकरण शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगी ।

आरबीआइ/2008-09/512 संदर्भ सं.ग्राआऋवि.कें.का.आरएफ. बीसी.सं. 116 /07.37.02/2008-09 दिनांक 26 जून 2009

सभी राज्य तथा केंद्रीय सहकारी बैंक

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र 30 जुलाई 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.कें.का.आरएफ.बीसी.सं.17/07.38.03/ 2008-09, 17 नवंबर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.कें.का. आरएफ.बीसी.सं.69/07.37.02/2008-09 तथा 6 मार्च 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि.कें.का.आरएफ.बीसी.सं.91/ 07.37.02/2008-09 देखें।

2. 6 मार्च 2009 के परिपत्र में हमने भारत सरकार के इस निर्णय की सूचना दी थी कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत 'अन्य किसानों' द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दिया गया है । दूसरी तथा तीसरी किस्तों की अदायगी की तारीख 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 पर अपरिवर्तित रही ।

3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 'अन्य किसानों' द्वारा उनके संपूर्ण 75 प्रतिशत अंश का एकल किस्त के रूप में भुगतान करने पर भी उनके खाते भारत सरकार से 25 प्रतिशत की ऋण राहत पाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते ऐसे किसानों द्वारा उक्त अंश 30 जून 2009 तक जमा कर दिया जाए । बैंक 30 जून 2009 तक पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे । भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की एक प्रति संलग्न है ।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंक/ उधारदात्री संस्थाएं एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत पात्र राशि के 75 प्रतिशत से भी कम राशि प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते बैंक/उधारदात्री संस्थाएं उक्त राशि के अंतर को स्वयं वहन करें और सरकार अथवा

किसान के पास उसके लिए कोई दावा नहीं करें । सरकार ऋण राहत के अंतर्गत केवल वास्तविक पात्र राशि के 25 प्रतिशत राशि का ही भुगतान करेगी ।

5. उपर्युक्त परिपत्रों की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भारिबैं./2008-09/514संदर्भ.सं.शबैंवि.पीसीबी.परि. सं.73 /09.14.000/2008-09 दिनांक 29 जून 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

ऋण संविभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण उपचार

ऋण संविभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के विवेकपूर्ण उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाने का निर्णय लिया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित प्रावधानों की गणना **केवल** उनके सामने दर्शाए गए उद्देश्य के लिए ही की जाएगी ।

(i) निर्धारित दर से अधिक दर पर अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

प्रावधानों के लिए विनियामक मानदंड न्यूनतम अपेक्षाओं को दर्शाते हैं । इसलिए, बैंक विद्यमान विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दर से उच्च दर पर स्वेच्छा से एनपीए के लिए विशेष प्रावधान करें यदि ऐसी उच्च दरें वसूलीयोग्य राशि की अनुमानित वास्तविक हानि का प्रावधान करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित हों तथा नीति कई साल से निरंतर अपनायी जा रही हो या संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 में इसका प्रावधान हो । एनपीए के लिए अतिरिक्त विशेष प्रावधान, जैसे एनपीए के लिए न्यूनतम विनियामक प्रावधान, को सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए की राशि परिकलित करें । एनपीए के लिए अतिरिक्त विशेष प्रावधान को टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(ii) एनपीए की बिक्री पर अधिक प्रावधान

कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25% की समग्र सीमा के अधीन एनपीए की बिक्री पर मिलने वाले अधिक प्रावधान टियर II पूंजी में शामिल किए जा सकते हैं ।

(iii) उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान

मानक आस्ति तथा एनपीए दोनों मामलों में ब्याज दर में कटौती तथा /या मूलधन की राशि के पुनर्निर्धारण के कारण पुनर्विन्यस्त अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए ह्रास के लिए किए गए प्रावधानों को संबंधित आस्ति से घटाने की अनुमति दी गई है ।

उपर्युक्त दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी रहेंगे ।